उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या -7/2015/वे0आ0-2-186/दस-69(सामान्य)/2010 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक : 02 मार्च, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि "वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोषठ" में विशेष कार्याधिकारी (नियमावली) पर वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/- के पद पर श्री शिव शंकर सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक निम्नलिखित सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्योजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :--

(1) श्री शिव शंकर सिंह को पुनर्योजन की अवधि में अस्थायी सरकारी सेवक माना जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि में श्री शिव शंकर सिंह को प्रतिमाह वही नियत वेतन अनुमन्य होगा जो इनके अंतिम आहरित मूल वेतन में से इनको देय शुद्ध पेंशन (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर आकलित हो तथा श्री शिव शंकर सिंह को देय मँहगाई भत्ता अंतिम आहरित मूल वेतन पर समय-समय पर देय मँहगाई भत्ते के सम्मतुल्य होगा।

(3) श्री शिव शंकर सिंह को पुनर्योजन की अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम 197(ए) तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अस्थायी अधिकारियों की भांति अवकाश देय होगा, परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।

(4) पुनर्योजन की अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद का भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में श्री शिव शंकर सिंह को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता इनके आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

होगा।

(6) पुनर्योजन की अवधि में श्री शिव शंकर सिंह को पेंशन पर मॅहगाई भत्ता राहत या अस्थायी व़द्धि (तदर्थ वृद्धि) यदि कोई देय हो, देय नहीं होगी।

(7) श्री शिव शंकर सिंह, विशेष कार्याधिकारी (नियमावली) को वही सुविधाएं अनुमन्य होगी जो उन्हें सेवानिवृत्त के समय अनुमन्य थी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अधीन लेखा शीर्षक-"2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-105 विशेष जॉच आयोग-03 राज्य आयोग और समितियॉ-01-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गरत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या -7/2015/वे0आ0-2-186(1)/दस-69(सामान्य)/2010 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
(4) सचिव, कार्मिक अनुभाग-1।
(5) निदेशक पेंशन उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (सेवायें) अनुभाग-1/4
(7) इरला चेक अनुभाग।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(9) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(10) सम्बन्धित अधिकारी।
(11) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in